रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941
No. 696] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/AGRAHAYANA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 885(अ).—केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 68 के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध (पहला संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में,--

(क) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(1) अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) के अधीन कोई अपील, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में अपील अधिकरण को की जाएगी ।

(2) निम्म्लिखित के अधीन दायर अपील,-

(i) अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील के साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ; और

(ii) अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1क) के अधीन फाइल की गई किसी अपील के साथ दो हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।";

(ख) उपनियम (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के प्ररूप 3 में,--

(क) शीर्षक "तथ्य" से पहले आरंभिक भाग में, "न्यायनिर्णायन प्राधिकारी (न्यायनिर्णायन प्राधिकारी का पता) द्वारा पारित" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "प्राधिकारी (प्राधिकारी का पता) द्वारा पारित" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) शीर्षक "तथ्य" के नीचे, "न्यायनिर्णायन प्राधिकारी द्वारा पारित" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकारी द्वारा पारित" शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 101/2019/फा. सं. 370142/25/2019-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1004 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।